115

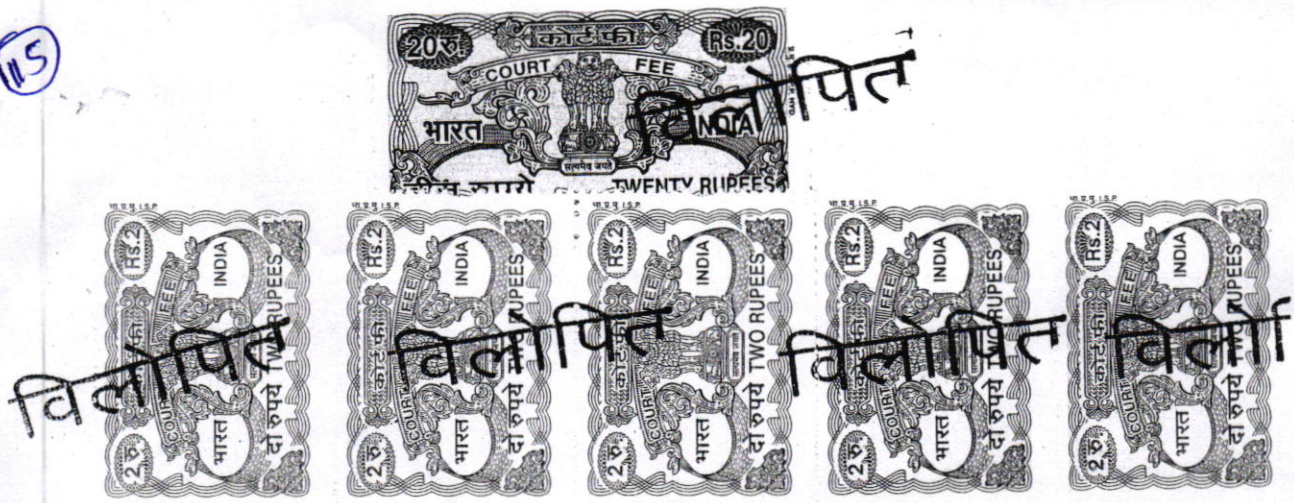

विलोपित विलोपित विलोपित विलोपित विलो

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. / 2018 निगरानी—2954/2018/शिवपुरी/भू.रा

घंसू पुत्र बिहारी गडरिया
निवासी ग्राम नारही परगना करैरा जिला शिवपुरी म.प्र.

———आवेदक

श्री S. P. Dhakad Adv. द्वारा आज दि. 14/05/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 5-6-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
14-5-18

बनाम

1. लखन पुत्र नत्थू जाटव
2. कपूरीबाई पत्नी लखन जाटव
निवासीगण ग्राम सीहोर परगना करैरा जिला शिवपुरी म.प्र.

———अनावेदकगण

(S.P. Dhakad Adv. 14-5-18)

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनु. वि. अधि. करैरा जिला शिवपुरी के प्रक 220/अपील/12—13 में पारित आदेश दिनांक 21.02.2018 के विरुद्ध निगरानी जानकारी दिनांक 22.03.2018 से नकल प्राप्ति दिनांक 23.04.2018 से अंदर अवधि प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :—

1. यह कि, ग्राम नारही परगना करैरा जिला शिवपुरी में भूमि सर्वे क. 18 मिन रकवा 0.80 हे. के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय करैरा के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि, हरिजन भूमिहीन होने भूमि आबंटित की जावे उक्त आवेदन पत्र पर से

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2954 / 2018 / शिवपुरी / भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
18 – 7–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 220 / अपील / 12–13 में पारित आदेश दिनांक 21.2.2018 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। निगरानी आवेदन पत्र के साथ उनके द्वारा धारा–5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तीन माह 12 दिन के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सके, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। (एस0 एस0 अली) सदस्य	